[2018] 13 एस. सी. आर. 334

पंकज सिन्हा

बनाम

भारत का संघ एवं अन्य।

(2014 की लिखित याचिका (सिविल) No.767)

सितंबर 14, 2018

[दीपक मिश्रा सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 32- कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों का संरक्षण-याचिकाकर्ता ने इसके लिए निर्देश मांगे। भारत संघ और राज्य कुष्ठ रोग की पहचान दर से संबंधित नए मामलों का निर्धारण करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेंगे और कुष्ठ रोग से जुड़े भय को दूर करने और उक्त बीमारी से पीड़ित लोगों को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए आम जनता के लिए नियमित और टिकाऊ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। समानता और गरिमा का जीवन जीने के लिए-आयोजित निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं (i) भारत संघ और राज्य कुष्ठ रोग की व्यापकता दर और नए मामलों का पता लगाने की दर निर्धारित करने के लिए आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेंगे और साथ ही, कुष्ठ रोग के 2010-2011 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रकाशित करेंगे और लाएंगे। (ii) कुष्ठ रोग दिवस पर, भारत संघ और राज्यों को कुष्ठ रोग संबंधित संकेत एवं लक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान आयोजित करने चाहिए तथा यह तथ्य कि बहुद्रव्यीय चिकित्सा पद्धति (एम. डी.टी.) से उपचार करने योग्य है जो कि निःशुल्क सभी सरकारी चिकित्सा केन्द्रों में उपलब्ध है तथा ये सुनिश्चित करें कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) पर ये दवाएँ भंडार में अनुपलब्ध न हों। (iii) भारत संघ एवं राज्य सभी नागरिक को सूचित करें कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एन. एल. ई.पी) के अंतर्गत मुफ्त ईलाज का प्रावधान है, सभी कुष्ठ रोगी का जिनका निदान (diagnosed) सामान्य स्वास्थ्य देख–भाल प्रणाली या गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है। (iv) यह जानकारी फैलाने वाले जागरूकता अभियान कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति को परिवार के सदस्यों या समुदाय से, अलग नहीं किया जाना चाहिए और वह सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकता है, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है एवं सामान्य रूप से काम करने या स्कूल जा सकता है। (v) चिकित्सा संस्थान, सरकारी और निजी दोनों, को किसी भी भेदभाव से बचने के लिए कुष्ठ रोगियों की जांच और उपचार करते समय उचित व्यवहार करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुष्ठ रोग के उपचार को

पंकज सिन्हा बनाम भारत का संघ एवं अन्य।

सामान्य रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए ऐसी विधि की शुरुआत करनी है कि स्वास्थ्य देख-भाल में सामान्य वार्डों और बाहरी मरीज विभाग में कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। (vi) कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगी, जिसकी आंशिक विकृति को शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है, उन्हें सलाह दी जानी चाहिए और इस तरह से गुजरने के लिए पर्याप्त सुविधा और शल्य चिकित्सा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। (vii) कुष्ठ रोग के बारे में सही जानकारी देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कुष्ठ रोग शिक्षा को शामिल करने की संभावना और कुष्ठ रोगियों के खिलाफ भेद-भाव को रोकना चाहिए (viii) केन्द्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी और सार्वजनिक दोनों स्कूल भेद-भाव नहीं करते हैं और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए (ix) उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान के लिए बी. पी. एल. कार्ड जारी करना चाहिए, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें ऐसी योजनाएं जो उन्हें भोजन के अपने अधिकार को सुरक्षित करने में भी सक्षम बनाएँ, पर (x) संघ और राज्यों को कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों को एम. सी. आर. मुफ्त में फुटवेयर प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। (xi) केन्द्र और राज्य सरकार को सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिए । देश के सभी कुष्ठ रोग प्रभावित और एक व्यापक समुदाय आधारित पुनर्वास तैयार करना, ऐसी योजना जो सभी कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति और उनके परिवार की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को पूरा करेगी और ऐसी योजना को लागू करना कि सभी कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए कम से कम मासिक आधार पर न्यूनतम सहायता प्रदान की जा सके। (xii) संघ सरकार विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के उद्देश्य से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के विकलांगता मूल्यांकन के लिए अलग से नियम बनाने पर विचार कर सकती है व्यक्तियों के अधिकारों एवं अक्षमता अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत–विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ।

धीरेन्द्र पांडुआ बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य

(2008) 17 एससीसी 311: [2008] 13 एससीआर 714

- संदर्भित किया गया।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2008] 13 एससीआर 714 संदर्भित किया गया अनुच्छेद–10

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सिविल) सं. 767 /2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, मनिंदर सिंह, सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, सूर्य पी. मिश्रा, एजी, ओडिशा, एस. एस. शमशेरी, ए. ए. जी., राजस्थान, राजू रामचन्द्रन, कॉलिन गोंजाल्विस, के. राधाकृष्णन, सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री पल्लवी मोहन, सुश्री रश्मि नंदा कुमार, सुश्री ध्वनी मेहता, काबी अली जिया चौधरी, सत्य मित्रा, आर. बालासुब्रमण्यम, शैलेंद्र सैनी, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सयोज

मोहनदास, ए. के. शर्मा, आर. बी. यादव, बी. वी. बलराम दास, प्रभास बजाज, सुश्री आरती शर्मा, अक्षय अमृतांशु, रवींद्र कुमार वर्मा, जी. एस. मक्कर, सुश्री दीपा कुलकर्णी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, रंजन मुखर्जी, एस.सी. घोष, निषे राजेन सोनकर, सुश्री अनु के. जॉय, अलीम अनवर, अभिषेक आत्रे, कृष्नम मिश्रा, सुवोदीप रॉय, ऋतुराज बिस्वास, सुश्री प्राची मिश्रा, अर्जुन गर्ग, सुश्री प्रज्ञा गर्ग, निखिल गोयल, नवीन गोयल, आशुतोष घोरे, रंजन मुखर्जी, डेनियम स्टोन लाईंगडो, प्रशांत माथुर, गुनटुर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह,जी.एम.कावूसा, एम. शोयब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मुजाहिद करीम खान, मेरूसागर समंत्रै, आशुतोष कुमार शर्मा, अंकुर प्रकाश, डाक्टर मोनिका गुसैन, दीपक केनाल, परमानंद गौर, एकांस वंसल, सुश्री अरूणा माथुर, अवनीश अरपुथम, सुश्री अनुराधा अरपुथम, सुश्री सिमरनजीत, (मेसर्स अरपुथम अरूणा एण्ड कंपनी), सुश्री हेमांतिका वाही, सुश्री विशाखा, सुश्री ममता सिंह, सुश्री के. ऐनाटोली सेमा, एडवर्ड वेल्हो, अमित कुमार सिह, के. लुईकांग माईगल, शीवासीम मिश्रा, अनिरूद्धा पी. मेई, ए. सेलविन राजा, अविनव मुकर्जी, श्रीमति वीहु शमा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, सिद्धार्थ गर्ग, के.वी. विजया कुमार, सुश्री मैत्री मिश्रा, आदित्य प्रताप सिंह, मोहम्मद वकाश, तपेश के.सिंह, यशवर्द्धन, अपूर्व शुक्ला, जगदीश सिंह छावड़ा, जी.प्रकाश, जीशनु एम.एल., श्रीमति प्रियंका प्रकाश, श्रीमति वीणा प्रकाश, कर्ण भारिओके, अमर पनवार, सुश्री नवकिरण बोले, अमित शर्मा, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रूचि कोहली, लेसहंगथम रॉसमनि केएच., सुश्री माईबॉम बबीना, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री मोनिका, प्रताप वेणुगोपाल, सुरेखा रमण, सुश्री निहारिका, सुश्री कनिका कालईया रसन, कुलदीप एस. परिहार, एच.एस.परिहार, संजय कुमार पाठक, सुश्री शशि पाठक, अरविन्द कुमार त्रिपाठी, अकिलेन्द्र सिंह, सुश्री उतारा बाबर, सुश्री आकांछा चौधरी, सुश्री भावना दुहुन, एस. उदय्या कुमार सागर, गोपाल सिंह, मनीश कुमार, श्रेयस जैन, अनिल श्रीवास्तव, सुश्री रितिका सेठी, क्षत्रसाल राज, सुश्री तानिया चौधरी, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शिनी,(मेसर्स पारेख एण्ड कंपनी), अशोक कुमार सिंह, वी.एन. रघुपति, बी. बालाजी, शिखर गर्ग, मुदित मखीजा, पे.वी. योगेशवरण, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमण, सुश्री निहारिका, सुश्री कनिका कलैयारसन, (मेसर्स के. जे. जॉन एण्ड कम्पनी), दिनेश कुमार गर्ग, चंचल कुमार गांगुली, मिश्रा सौरव, विश्वपाल सिंह, वरिन्द्र कुमार शर्मा, रोहित के. सिंह, श्रीमति अनिल कटियार, सुहान मुकर्जी , सुश्री आस्था शर्मा, हर्ष हीरू गोरसाहनी, अमित वर्मा, विशाल प्रसाद (पीएलआर चैंबर्स एंड कंपनी के लिए), अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा सी.जे.आई। 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत त्वरित रिट याचिका में भारत संघ और राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसमें प्रत्यार्थी संख्या–1-30 तक, कुष्ठ रोग का पहचान दर पता लगाने और नए मामलों का निर्धारण करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण

करना और 2010-2011 में आयोजित कुष्ठ रोग पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना और आगे नियमित और टिकाऊ, व्यापक जागरूकता अभियान आयोजित करना। कुष्ठ रोग से जुड़े भय को दूर करने एवं समर्थन करने और उक्त बीमारी से पीड़ित लोगों को समानता और गरिमा का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आम जनता के लिए अभियान।

2. यह भी प्रार्थना की जाती है कि उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करें कि देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बहुऔषधि चिकित्सा और अन्य कुष्ठ एवं कुष्ठ के संघटनों के प्रबंधन के लिए दवाएं मुफ्त में उपलब्ध हों और कभी भी स्टॉक से बाहर न जाये और देश भर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य देख-भाल संस्थानों को, चाहे वे निजी हों या सरकारी, निर्देशित करें कि वे कुष्ठ रोग से पीड़ित महिलाओं के साथ भेद-भाव न करें और उन्हें वापस न करें एवं उन्हें उपचार से वंचित न करें। कुष्ठ रोग प्रभावित परिवारों के बच्चों के साथ भेद-भाव न करने और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए देश के सभी स्कूलों को आदेश जारी करने के लिए भी राहत मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कुष्ठ कॉलोनियों में स्वच्छ स्थिति प्रदान करने और देश में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को एमसीआर जूते मुफ्त में उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इसके अलावा, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की अक्षमताओं के मूल्यांकन के लिए अलग नियम बनाने के लिए भारत का संघ को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का संख्या 49) के तहत दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के उद्देश्य से।

3. जब मामला 1 सितंबर, 2014 को सूचीबद्ध किया गया था, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

" भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत की गई याचिका के समर्थन में, श्री गोंजाल्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मानव सभ्यता ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की है और सभ्यता के वैज्ञानिक अनुसंधान के शिखर पर पहुंचने के बावजूद, एक प्रभावी इलाज, मल्टी ड्रग थेरेपी (एम. डी. टी.) जो 1981 से उपलब्ध है, जो कि 99 प्रतिशत कुष्ठ रोग बैक्टीरिया को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। भारत सरकार और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लोग अभी भी उक्त बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे एक सामाजिक कलंक माना जाता है।

उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें के प्राधिकृत प्राधिकृतियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता, तो कुष्ठ रोग से पीड़ित लाखों लोग ठीक हो जाते और जीवन की मुख्यधारा में आ जाते और समाज से बहिष्कृत नहीं होते। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तर्क देते हैं कि सरकारों की चिंता न होने के कारण कुष्ठ रोग से प्रतिवर्ष एक लाख पच्चीस हजार से अधिक लोग प्रभावित होतें हैं, जोकि पूरी तरह से रोकने योग्य है।

याचिका में यह कहा गया है कि उन्हें शिक्षा, स्वच्छता लाभ, समुदाय आधारित पुनर्वास की अनुमति नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वे सड़कों पर चले जाते हैं और अंतत: भीख माँगने या तथाकथित कुष्ठ घरों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें गैर अवस्थित व्यक्तियों या बाहिय्क के रूप में व्यवहार किया

जाता है। रिट याचिका में कई प्रार्थनाएं की गई हैं, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं की उपलब्धता के लिए निर्देश जारी करने और कुष्ठ रोग से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के इलाज के उचित प्रशासन से संबंधित हैं। संस्थान चाहे सरकारी हों या निजी, गरिमा के साथ उपयुक्त तरीके से शिक्षा में प्रावधान करना चाहिए ताकि कुष्ठ रोग प्रभावित परिवारों के बच्चों के खिलाफ किसी प्रकार के अवरोध के कारण भेद-भाव, जिसकी कोई संवैधानिक मंजूरी नहीं है, को रोका जा सके और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकें और ऐसे उपनिवेश बस्तियों की स्थापना की जा सके जहां वे अस्थायी अवधि के रह सकें। जब तक कि वे ठीक हो जायें और समाज में आ जायें, आदि।

4. 28 नवंबर, 2014 को न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

श्री मनिन्दर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता जो भारत संघ की ओर से उपस्थित होकर इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 1.9.2014 आदेश के अनुसार आवश्यक डेटा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह के समय के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री सिंह ने इस अदालत को आश्वासन दिया है कि वह आगे स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

प्रत्यर्थी राज्य उक्त अवधि के भीतर अपने-अपने जवाब दाखिल करेंगे। यदि वे पूरे राज्य मे आकड़ा एकत्र करने में असमर्थ हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए समय के दौरान उन्होंने जो भी आंकड़ा एकत्र किया है अभिलेख पर लाया जाएगा।

हमने चार सप्ताह का समय दिया है क्योंकि हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि यह एक ऐसा कारण है जिसे राज्यों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे सामने जो आंदोलन किया गया है वह कुष्ठ रोग है,जो आज, ठीक किया जा सकता है। फिर भी, संबंधित अधिकारियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता के कारण, यह अभी भी समाज में एक कलंकित बीमारी बनी हुई है। यह अकल्पनीय है क्योंकि यह मानव गरिमा और मानवता की मूल अवधारणा को प्रभावित करता है।

5. यह ध्यान दिया जाए कि बीमा नियामक और विकास बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण और भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) को रिट याचिका में विचाराधीन संख्या 31 और 32 रखा गया था और उन्होंने समयबद्ध निर्देश लिए थे।

6. 13 जनवरी, 2015 को, पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार नोट किया था:

" कहने की जरूरत नहीं है कि उपचार को स्तर के आधार पर स्वीकार किया जाता है। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हमारा मानना है कि भारत संघ और राज्यों द्वारा और अधिक प्रगतिशील कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यह सलाह दी जाएगी कि क्या भारत संघ और राज्य कुष्ठ रोग उपचार केन्द्र स्थापित करने के बारे में सोच सकते हैं, जहां दवाओं का पालन किया जाता है और अन्य उपचार शिस्टाचार का उचित रूप से पालन किया जाता है ताकि इस कलंकित बीमारी का उन्मूलन किया जा सके या इसे एक महत्वपूर्ण प्रतिशत तक कम किया जा सके। श्री मनिंदर सिंह, अतिरिक्त प्रधान महान्यायभिकर्त्ता

पंकज सिन्हा बनाम भारत का संघ एवं अन्य।

दीपक मिश्रा सी.जे.आई,

एवं अन्य विद्वान अधिवक्ता जो विभिन्न राज्यों की ओर से उपस्थित है, ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।

7. दाखिल किए गए हलफनामों और दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने 23 अप्रैल 2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" यह श्री मनिंदर सिंह, विद्वान अतिरिक्त प्रधान महान्यायभिकर्त्ता द्वारा भारत संघ की ओर से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ तक प्रार्थना ए और ,बी की बात है वह संबंधित आंकड़ा और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि अनुरोध किया गया है और उस में एक हलफनामे द्वारा समर्थित जवाब भी दाखिल करेंगे। जहाँ तक प्रार्थना (ई) का संबंध है, हम चाहेंगे कि श्री मनिंदर सिंह अतिरिक्त महान्यायभिकर्ता संबंधित मंत्रालय अर्थात् स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करेंगे। क्या भारत सरकार के पास कोई भी टोली है जो विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों के घरों की देख-भाल करने के लिए है या कुष्ठ रोग की बस्तियाँ हैं, जो अंततः कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी कि देख–भाल करने के लिए है। हम चाहेंगे कि हलफनामे में यह हो कि प्रारंभिक लक्षण प्रकट होने पर किस तरह का व्यवहार दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिया जाता है। सार यह है कि क्या उस प्रभाव के लिए कोई तंत्र है। हमने ऐसा निर्देश दिया है क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है कि 21 वीं सदी में कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हम श्री कमलेश कुमार याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का निवेदन स्वीकार करते हैं कि भारत संघ और राज्यों के मिले–जुले प्रयत्नों से ये संभव हो सकता है। मिश्रा ने कहा कि भारत संघ और सभी राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे देखें कि इस सदी पुरानी कलंकित बीमारी का उन्मूलन किया जाए। हम उनकी इस दलील को भी स्वीकार करते हैं कि यह भारत संघ और राज्यों के ठोस प्रयास से किया जा सकता है।

श्री रंजीत राव, यू. पी. राज्य के लिए विद्वान सहायक न्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि यू. पी. राज्य में एक पुनर्वास कार्यक्रम है कुष्ठ रोग के रोगियों और पूरे राज्य में, रोगियों को दवाएं दी जाती हैं और उनमें से कुछ ठीक हो गए हैं। यह ध्यान दिया जाए कि यू. पी. सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया है। इस मोड़ पर, यह बताना आवश्यक है कि हलफनामा दर्शाता है कि इलाहाबाद में 72 केन्द्र हैं, जहॉ लगभग पॉच हजार कुष्ठ रोगी एवं उनके आश्रित निवास करते हैं। उपर्युक्त पहलु को सत्यापित किया जाना है और हमलोग एक समिति का गठन करते हैं , जिनके सदस्य श्री अशोक गुप्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, श्री ओम सुभाष त्रिपाठी , एम–1, गोविन्दपुर, इलाहाबाद और श्री चन्द्रशेखर सिंह, 58/14 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सिविल लाईन, इलाहाबाद हैं।

समिति शुरू में लखनऊ, बनारस और आगरा में कुष्ठ रोग गृहों का दौरा करेगी। समिति आठ सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार समिति के सदस्यों की फीस का भुगतान करेगी जिसे श्री रंजीत राव, विद्वान ए. ए. जी. द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह रियायत श्री की उपस्थिति में दी जाती है। विजय बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान महाधिवक्ता। हम शुल्क की मात्रा निर्धारित नहीं कर

रहे हैं। हम आशा करते हैं कि बार में समिति के 5 सदस्यों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य इसकी मात्रा तय करेगा। समिति के दौरों का समन्वय श्री राव द्वारा वरिष्ठ वकील श्री अशोक गुप्ता के साथ चर्चा करने के बाद किया जाएगा।

8. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस रिट के लंबित रहने के दौरान, 2017 की एक और रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151 दायर की गई थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि कई कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (डी), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन है। उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, हमारा ध्यान कानून आयोग की 256 वीं प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया था। उक्त रिपोर्ट भारत संघ द्वारा "कानूनी अधिनियम" शीर्षक से की गई पहल के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवेदन संख्या–249 जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि भारत संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का सदस्य है जिसने सर्वसम्मति से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ भेद-भाव के उन्मूलन पर एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विधि आयोग की प्रतिवेदन के अनुसार, कुष्ठ रोग अधिनियम प्रस्ताव की भावना के खिलाफ था और इसलिए, राज्यों के साथ परामर्श करके इसे तत्काल निरस्त करने की आवश्यकता थी। 5 जुलाई, 2018 परिच्छेद 2.2,1, 2.2.2 एवं 2.2.3 को उक्त रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा इसे पुनः प्रस्तुत किया गया था। हम उचित समझ के लिए उक्त अनुच्छेदों और अन्य अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

" अनुच्छेद 2.2.1 से 2.2.3 तक, कुष्ठ रोग के आसपास के तथ्यों और मिथकों का संदर्भ दिया गया है। हम उचित समझते हैं कि उक्त अनुच्छेदों को पुनः लिखें:

" 2.2. 1 कुष्ठ रोग के बारे में कई मिथक और विकृतियाँ हैं जिन्हें इस अध्याय में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इस तरह के मिथक कुष्ठ रोग को एक वंशानुगत और संक्रामक बीमारी मानते हैं जो अशुद्ध रक्त और गरीबी के कारण होती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि कुष्ठ रोग का संक्रमण भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है और इसका पता लगाना मुश्किल है। हालाँकि, ऐसी सभी मान्यताएँ हैं सबूत पर आधारित नहीं है और इसलिए योग्यता के बिना।

2.2. 2 कुष्ठ रोग वंशानुगत रोग नहीं है और इसके कारण नहीं होता है। अशुद्ध रक्त या गरीबी के कारण, लेकिन कारक अभिकर्ता माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, भले ही कुष्ठ रोग एक पुरानी संक्रामक बीमारी है, लेकिन न तो इसका निदान करना मुश्किल है और न ही इसका इलाज करना मुश्किल है। एक प्रभावी कुष्ठ रोग उपचार के लिए मुख्य विचार जल्दी पता लगाना और उपचार में नियमितता है।

2.2.3 सभी व्यक्ति कुष्ठ रोग के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं होते हैं, हालांकि अस्वच्छ स्थितियों, कुपोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी से कुष्ठ रोग [2018] 13 सर्वोच्च न्यायालय का

प्रतिवेदन से संक्रमित होने की संभावना बढ़ सकती है। बैसिलस या ऐसी स्थितियों के कारण होने वाली कई अन्य बीमारियाँ और संक्रमण इसके अलावा, कुष्ठ रोग एक घातक बीमारी नहीं है, भले ही कलंक और भेद-भाव के कारण, यह पीड़ितों लोगों के लिए स्थायी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षति का कारण बन सकता है।

1 परिच्छेद 2.4. 2, यह उल्लेख किया गया है कि कुष्ठ रोग एक पूर्ण रूप से ठीक होने वाली बीमारी है। हम समझते हैं कि अनुच्छेद–2.4 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

" 2.4. 2 यद्यपि कुष्ठ रोग अपरिवर्तनीय अक्षमताओं का कारण है, कुष्ठ रोग के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ पिछले तीन दशकों के दौरान उपचार, अब यह पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है जिसे उपचार के शुरुआती चरणों में ही गैर-संक्रामक बनाया जा सकता है। उपचार जिसने इसे बनाया है कुष्ठ रोग का इलाज बहुद्रव्यीय चिकित्सा पद्धति ("एम. डी. टी".) की प्रक्रिया से संभव है, जिसकी 40 से अधिक वर्षों के शोध और परीक्षण के बाद पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश की गई थी। बहुद्रव्यीय चिकित्सा पद्धति के तहत, रिफामिपिसिन, क्लोफाज़िमिन और अन्य जैसी शक्तिशाली दवाएं कुष्ठ रोग बेसिलस से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए

प्रभावित व्यक्ति को डैप्सोन के साथ संयोजन दिया जाता है। अतीत में दो दशकों में, कुष्ठ रोग से प्रभावित 15 सहस्र से अधिक व्यक्तियों को बहुद्रव्यीय चिकित्सा पद्धति के तहत ठीक किया गया है।

स्वाभाविक रूप से, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद, विधि आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

" 7.13 इस क़ानून का शीर्षक "कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव का उन्मूलन विधेयक, 2015" होना चाहिए। इस एकल कानून में, निर्दिष्ट कानूनों के निरसन/संशोधन को व्यापक रूप से शामिल करने के अलावा, गैर-भेदभाव और कानून के समक्ष समान संरक्षण के सिद्धांत शामिल

होंगे। ये सिद्धांत निर्दिष्ट करेंगे कि (1) कोई भी व्यक्ति, या सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठान किसी भी व्यक्ति के साथ भेद-भाव नहीं करेगा। कुष्ठ रोग से प्रभावित, या किसी भी आधार पर उनके परिवार के सदस्य, कुष्ठ रोग की पीड़ा के संबंध में, या उनकी शारीरिक अक्षमता, गुण या कुष्ठ रोग के साथ उनके संबंध का कोई अन्य रूप; और (2) कुष्ठ रोग से प्रभावित सभी व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य समान आधार पर सभी मानवाधिकारों की मान्यता, आनंद और प्रयोग के हकदार होंगे, जिनमें शामिल हैं - भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूति स्वतंत्रताएं। इसके अलावा, कानून में सकारात्मक कार्रवाई और ऊपर सूचीबद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त और संशोधित करने के संबंध में सक्षम प्रावधान भी शामिल होंगे।

पंकज सिन्हा बनाम भारत संघ एवं अन्य

[दीपक मिश्रा, सी.जे.आई]

7.14 अनुलग्नक में एक आदर्श विधेयक दिया गया है - विधि आयोग भारत का मानना है कि भारत अधिकांश कुष्ठ रोग पीड़ित का घर जो गहरी शर्मिंदगी की बात है। आगे स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण और अग्रणी सामाजिक प्रयास कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक अभी तक अटूट के जारी है। आदर्श विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक भेद–भाव जो प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सामना किया जा रहा है एवं उनके समाज में पुनः एकीकरण के लिए। सभी के लिए, विशेष रूप से अपने सबसे गरीब लोगों के लिए मानवाधिकारों में विश्वास करने वाला मानवीय समाज, विधि आयोग का मानना है कि विधेयक को यथासंभव ⁄शीघ्रता से कानून में परिवर्तित किया जाना चाहिए। भारत सरकार "।

9. उसी का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने टिप्पणी की:

" अनुलग्नक में एक मसौदा विधेयक है, जिसका नाम है-उन्मूलन कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव (ई. डी. पी. ए. एल.) बिल, 2015। विधि आयोग ने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कलंक, अक्षमता या भेदभाव पैदा करने वाले कुष्ठ अधिनियम और अन्य कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की। विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील रामचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उन अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, सिवाय कुष्ठ रोग अधिनियम के जिसे निरस्त कर दिया गया है।

10. उक्त आदेश में दो न्यायाधीशों की पीठ को निर्देश दिया गया था।

धीरेन्द्र पांडुआ बनाम उड़ीसा राज्य और आर. एस. 1 जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति और कुष्ठ रोग के उपचार पर ध्यान दिया था। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

" 29. यह सच है कि अब अकामक दवा के साथ एक रोगी हो सकता है। रोग को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए, फिर भी विधानमंडल ने अपने विवेक से कानून में ऐसे प्रावधानों को बनाए रखना उचित समझा है ताकि रोग से प्रभावित व्यक्ति से अन्य लोगों में इसके संचरण के खतरे को समाप्त किया जा सके। इन्हें ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों में, हम आश्वस्त हैं कि उक्त वर्गीकरण करता है इच्छित उद्देश्य के साथ एक उचित और न्यायपूर्ण संबंध रखें विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किया गया और ऐसा नहीं कहा जा सकता है अनुचित या मनमाना। तदनुसार, हम मानते हैं कि धाराएँ 16 (1) (iv) और (1) (बी) अधिनियम के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं। संविधान कि परिवर्तित अवधारणा और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कुष्ठ रोग के बारे में प्राप्त किया, की सिफारिश पर भारत सरकार, कई राज्य सरकारें और संघ क्षेत्रों ने प्राचीन कुष्ठ रोग अधिनियम, 1898 को निरस्त कर दिया है और बाद के समान राज्य अधिनियम, अलगाव के लिए प्रावधान और संक्रामक प्रकार से पीड़ित दरिद्र कोढ़ियों का चिकित्सा उपचार रोगों से। इसलिए, वर्तमान सोच को ध्यान में रखते हुए और कुष्ठ रोग के

साथ-साथ तपेदिक पर भी किए गए शोध, और पेशेवर निविष्ट, विधानमंडल गंभीरता से विचार कर सकता है कि क्या क़ानूनों में ऐसे प्रावधानों को बनाए रखना अभी भी आवश्यक है।

11. उक्त आदेश में, न्यायालय ने सामाजिक जागृति, रोग की मूल क्षमता और रोग के प्रति पेशेवर दृष्टिकोण की कमी और सामाजिक कलंक पर जोर दिया जाये जो अभी भी उक्त रोग से जुड़ा हुआ है। उक्त मामले में न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश निम्नलिखित हैं -

" (i) भारत संघ और स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभाग विभिन्न स्तर पर सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि लोग जान सके कि यह रोग उपचार्य है और यह संक्रामक नहीं है।

(ii) कुछ जिम्मेदार अधिकारी, कम से कम दो, जो विशेष रूप से उक्त कर्तव्य के लिए नामित होंगे।

(iii) आकाशवाणी और दूरदर्शन, दोनों पर विशिष्ट कार्यक्रम होने चाहिए, केन्द्रीय और राज्य स्तर पर, साथ ही साथ क्षेत्रीय चैनलों पर, लोगों को इस तथ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए कि कुष्ठ रोग संचारी रोग नहीं है और इस बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति से अनुचित व्यवहार या भेद–भाव नहीं करना है।

(iv) जहां तक संभव हो ऐसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों चैनलों पर प्राईमटाईम पर यथासंभव सीमा तक दिखाए जाएंगे, ताकि लोग उन्हें देख सकें।

(v) अस्पतालों को कुष्ठ रोग से पीड़ित ऐसे रोगियों का इलाज करने के लिए पहली खुराक देने से इनकार नहीं करना चाहिए और उसके बाद यदि वे किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो उपचार प्रदान

करना चाहिए। यह याद रखना होगा कि एक व्यक्ति को सरकारी अस्पतालों में इलाज का लाभ उठाने का अधिकार है।

(vi) जागरूकता अभियान में शहरी से लेकर पंचायत स्तर तक सभी क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए। ताकि जागरूकता के संबंध में एक ठोस और समगर दृष्टिकोण हो।

(vii) भारत संघ और राज्य इसके लिए कदम उठाएंगे - कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पुनर्वास करें। यह देखना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि इस श्रेणी के लोग किसी भी प्रकार के कलंक से पीड़ित न हों।

(viii) हम भारत संघ और राज्य सरकारों की सराहना करेंगे कि वे हमें उन प्रावधानों को निरस्त करने के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराए जहां कुष्ठ रोग को एक कलंकित विकलांगता के रूप में माना गया है। भारत संघ एवं राज्य द्वारा अनुपालन के लिए एक प्रतिवेदन दाखिल करेंगे।

पंकज सिन्हा बनाम भारत संघ एवं अन्य

[दीपक मिश्रा, सी.जे.आई]

12. उक्त रिट याचिका, उचित अनुपालन के लिए 20 अगस्त, 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 20 अगस्त, 2018 को, भारत सरकार के लिए विद्वान न्यायवादी और अन्य पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

" याचिका की सुनवाई के दौरान, हमने भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल से सहायता मांगी, श्री वेणुगोपाल के अनुसार, सकारात्मक कानून और कुष्ठ रोगियों से जुड़े कलंक से संबंधित कानूनों को निरस्त करने के अलावा,विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि यह बीमारी लाइलाज नहीं है और आगे, पहली खुराक देने के बाद, यह संक्रामक होना बंद हो जाता है। विद्वान महान्यायवादी यह भी प्रस्तुत करेंगे कि कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी जिन्होंने अपने अंग खो दिए हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकता है यदि उनके द्वारा कुछ शल्य चिकित्सा उपचार किए जाते हैं।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचन्द्रन ने कहा कि अधिनियमों के निरस्त होने तक, इस न्यायालय को निर्देश जारी करने चाहिए ताकि कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी शालीनता के साथ गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकें। बार में गैर.प्रतिकूल प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए हम महान्यायवादी और याचिकाकर्त्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन से कहेंगे कि अपना लिखित सुझाव दें, ताकि यह न्यायालय उचित निर्देश जारी करने की स्थिति में हों।

इस मामले को 10.09.2018 पर सूचीबद्ध होने दें।

इस बीच, विद्वान महान्यायवादी हमें अवगत कराएंगे कि क्या विधानमंडल को सिफारिश की जा सकती है कि एक सकारात्मक कानून पास करें जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ अधिकारों और लाभों को प्रदान करने वाला हो और कोई भी कानून, नियम, विनियमन या अधिनियम, जो सकारात्मक कानून के विपरीत है, निरस्त किया गया माना जाना चाहिए।

13. 10 सितंबर, 2018 को निम्नलिखित आदेश आया:

श्री राजु रामचन्द्रन विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने प्रस्तुति के अंश में निम्नलिखित 11 सुझाव दियें हैं।

11 सुझावों में से, सुझाव संख्या 10 और 11 विधायी क्षेत्र से संबंधित हैं। श्री वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवाद इन दोनों पहलुओं के संबंध में छह सप्ताह के लिए प्रार्थना करें।

जहॉ तक अन्य 9 सुझावों की बात है, प्रथम दृष्टया हमारे दृष्टिकोण से ये सभी कार्यकारी वर्ग में आते हैं–(i) जागरूकता संवेदीकरण एवं प्रचार के लिए उठाये कदम (ii) गैर भेद–भाव (iii) कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति को पेंशनरी लाभ (iv) स्वास्थ्य देख–भाल और पुनर्वास। (v)

आवास सहायता (vi) शिक्षा (vii) रोजगार और आजीविका (viii) कल्याण (ix) भाषा एवं अभिव्यक्ति।

हम विद्वान महान्यायवादी श्री वेणुगोपाल से अनुरोध करेंगे कि वे चार सप्ताह के भीतर अपने सुझाव दाखिल करके उपरोक्त 9 पहलुओं के संबंध में सहायता करें।

सभी राज्य संवैधानिक लक्षय को ध्यान में रखते हुए उठाए गए और उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपना जवाब दाखिल करेंगे।

14. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है कि जबकि कुष्ठ रोग वैज्ञानिक एवं चिकित्सा की दृष्टि से उपचार्य एवं प्रबंधनीय है बहुद्रव्यीय चिकित्सा पद्धति से। परंतु यह तथ्य भी है कि सहस्र व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य अभी भी कुष्ठ रोग और उक्त बीमारी से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कलंक से पीड़ित हैं। इस तथ्य से पता चलता है कि जागरूकता की कमी और समाज में प्रचलित गुमराह धारणाएँ कुष्ठ रोग से संबंधित है। इसके अलावा कुष्ठ रोग से पीड़ितों की दयनीय दुर्दशा यहीं समाप्त नहीं होती है। यह रेखांकित किया गया है कि बीमारी के परिणामस्वरूप होने वाली अक्षमता के कारण, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आजीविका विकल्पों तक पहुंच से वंचित करने के रूप में अतिरिक्त भेद-भाव का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में, कुष्ठ रोग से पीड़ित अधिकांश आबादी समाज में एक हाशिए पर पड़े वर्ग के रूप में रहती है, जो बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित है, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से समानता के मौलिक अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है।

15. अदालत के ध्यान में यह भी लाया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) की आवश्यकताओं के अनुसार, सभी देशों को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर एक से कम कुष्ठ रोग के मामले की व्यापकता प्राप्त करने की आवश्यकता है और हालांकि भारत ने काफी पहले 31.12.2005 इसकी घोषणा की थी। यह कि इसने कुष्ठ रोग के उन्मूलन के उक्त लक्षय को प्राप्त कर लिया है, फिर भी एन. एल. ई. पी. की प्रगति प्रतिवेदन जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कुछ राज्यों में प्रसार दर की प्रतिवेदन कर रही है, एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता को उजागर करती है। उक्त प्रतिवेदनों के अनुसार, भारत के 642 जिलों में से केवल 543 जिलों ने 10,000 व्यक्तियों के लिए कुष्ठ रोग के एक से भी कम मामले की व्यापकता दर हासिल की है। मामलों का कम आकलन कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग के उन्मूलन की घोषणा के परिणामस्वरूप सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में कुष्ठ रोग का एकीकरण हुआ है जिससे धन का उपयोग अन्य सभी रोगों के लिए किया जाता है जो अन्यथा कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए समर्पित होता।

1. 16. हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि कुष्ठ रोग का एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था प्रत्यार्थी संख्या 1, भारत संघ के द्वारा, फिर भी उक्त सर्वेक्षण को कभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं लाया गया है। उक्त उद्देश्य के लिए स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से एम. डी. टी. दवाओं के अनुचित वितरण के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। यह प्रेरित किया जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के

पंकज सिन्हा बनाम भारत संघ एवं अन्य

दीपक मिश्रा सी.जे.आई,

2. कर्मचारी कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगियों का इलाज करते समय संवेदनशीलता की कमी प्रदशित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कलंक और अलगाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी भी उक्त रोगियों के बीच प्रचलित कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें सरकारी अस्पतालों द्वारा कुष्ठ रोग से प्रभावित गर्भवती महिलाओं के साथ किए गए भेद-भावपूर्ण व्यवहार और ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं को केवल कुष्ठ रोग से प्रभावित होने के कारण इलाज से इनकार कर दिया गया है। एक अन्य पहलू, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र को भी याचिकाकर्ताओं द्वारा सामने लाया गया है। यह आग्रह किया गया है कि पर्याप्त शिक्षा सुविधाओं की कमी से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों में असुरक्षा और कलंक की भावना बढ़ती है। कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी के बच्चों के विकास के लिए पहला कदम होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

17. यह बताया गया है कि कई उदाहरण सामने आए हैं कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को ए. पी. एल. कार्ड दिए जा रहे हैं न कि बी. पी. एल. कार्ड जो कि इन लोगों को सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ का दावा करने से वंचित करता है, जैसे कि अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई), जो जनता के इस वर्ग को भोजन के अपने अधिकार का दावा करने से वंचित करती है। आवास और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं से वंचित होना, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और पुनर्वास कार्यक्रम अभी भी अन्य गंभीर चिंताएं हैं, कुष्ठ रोग से बचने से रोकते हैं। जिनका समाधान किये बिना पीछे हटना पूरी सुधारात्मक प्रकिया में भारी नुकसानदेह होगा।

18. पूरी तरह से तथ्यात्मक आधात्री और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

(i) केन्द्र और राज्यों को प्रसार दर और नए मामलों का निर्धारण करने के लिए आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करना है। कुष्ठ रोग का पता लगाने की दर और साथ ही, 2010-11 में किए गए कुष्ठ रोग के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की प्रतिवेदनों को प्रकाशित करें और सार्वजनिक करें। इसके अलावा, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन की गतिविधियाँ कार्यक्रम (एन. एल. ई. पी.) को व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

(ii) कुष्ठ रोग दिवस पर, जो हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को अंत र्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, भारत संघ को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान आयोजित करना चाहिए। कुष्ठ रोग के संकेतों और लक्षणों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाएँ कुष्ठ रोग और यह तथ्य कि यह मल्टी ड्रग थेरेपी (एम. डी. टी.) द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में देख–भाल सुविधाओं में एम. डी. टी. की मुफ्त उपलब्धता, एम. डी. टी. उपचार के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और अन्य सभी के बारे में भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। एम. डी. टी. से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, सामग्री और जागरूकता कार्यक्रमों में निहित जानकारी होनी चाहिए कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की भयावह छवियों का उपयोग करना बंद करें और इसके बजाय कुष्ठ रोग से ठीक होने के उनके अनुभव एवं ठीक हुए व्यक्तियों की सकारात्मक छवियों का उपयोग करें।

(iii) संघ और राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि जैसा भी मामला हो, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं प्रबंधन के लिए कुष्ठ रोग और एम. डी. टी. दवाएँ सहित इसकी जटिलताएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी) में मुफ्त में उपलब्ध हैं और भंडार से बाहर नहीं जाती हैं।

(iv) केन्द्र और राज्यों द्वारा सभी वर्षों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि नागरिकों को सूचित किया जा सके कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन. एल. ई. पी.) के तहत गैर सरकारी संगठनों सहित सामान्य स्वास्थ्य देख-भाल प्रणाली के माध्यम से निदान किए गए सभी कुष्ठ रोग के मामलों में नि:शुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।

(v) संघ और राज्यों को सभी स्तरों पर संगोष्ठी आयोजित करने चाहिए जो पूर्व रोगियों और उनके परिवारों के साथ-साथ चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारी सीधे उनके विचारों और अनुभवों को सुनने के लिए मंच के रूप में काम करते हैं

(vi) जागरूकता अभियानों में यह जानकारी शामिल होनी चाहिए कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति को किसी विशेष क्लिनिक या अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में भेजने की आवश्यकता नहीं है और उसे परिवार के सदस्यों या समुदाय से अलग नहीं किया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान में यह भी सूचित करना चाहिए कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है और सामान्य रूप से काम या स्कूल जा सकता है। समाज में कुष्ठ रोगियों की रोग से जुड़ा हुआ; स्वीकार्यता कलंक को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

(vii) सरकारी और निजी दोनों संचालित चिकित्सा संस्थानों में कुष्ठ रोगियों के लिए स्वास्थ्य देख-भाल ऐसी होनी चाहिए कि चिकित्सा अधिकारी और प्रतिनिधि किसी भी कुष्ठ रोगियों की जांच और उपचार करते समय भेद-भावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। कुष्ठ रोग के उपचार को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत किया जाना चाहिए जो सामान्य वार्डों और बाहरी मरीज विभाग सेवाओं में अलगाव नहीं करेगा। विशेष रूप से, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुष्ठ रोग से पीड़ित महिलाओं के साथ कोई भेद- भाव न हो और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए समान और पर्याप्त अवसर दिए जाएं। इसके लिए अस्पताल के कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए सकिय उपाय किए जाने चाहिए।

(viii) कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगी, जिनके लिए आंशिक विकृति हो सकती है। शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाना चाहिए, सलाह दी जानी चाहिए और ऐसी शल्य चिकित्सा से गुजरने के लिए पर्याप्त सुविधा और अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(ix) स्कूली पाठ्यक्रम में कुष्ठ रोग शिक्षा को शामिल करने की संभावना ताकि कुष्ठ और कुष्ठ रोगियों के बारे में सही जानकारी दी जा सके और उनके साथ होने वाले भेद-भाव को रोका जा सके।

(x) केन्द्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी और सार्वजनिक दोनों स्कूल कुष्ठ रोग प्रभावित परिवारों के बच्चों के साथ भेद-भाव न करें। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों को ठुकराया नहीं जाना चाहिए और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए

(xi) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को बी. पी. एल. कार्ड जारी किए जाएं ताकि वे अन्तोदय अन्न योजना और इसी तरह की अन्य योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें, जो उन्हें भोजन के अपने अधिकार को सुरक्षित करने में सक्षम बनाएगा;

(xii) देश में केन्द्र और राज्यों को कुष्ठ रोग से प्रभावित सभी व्यक्तियों को मुफ्त में सूक्ष्म कोशिकीय रवर चप्पल उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।

(xiii) राज्यों को भारत संघ के साथ मिलकर सभी कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए कम से कम न्यूनतम सहायता, अधिमानत: मासिक आधार पर प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने और लागू करने पर विचार करना चाहिए ।

(xiv) केन्द्र और राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिए और एक व्यापक समुदाय आधारित पुनर्वास योजना तैयार करना चाहिए जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों की सभी बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों से जुड़े कलंक को समाप्त करेगा।

(xv) केन्द्र सरकार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का संख्या 49) के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के अक्षमता अनुपात का आकलन करने के लिए अलग-अलग नियम बनाने पर विचार कर सकती है ताकि व्यायाम में अक्षमता प्रमाण–पत्र जारी किया जा सके।

19. तदनुसार, अंकित ज्ञान के अनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।